



**भारतीय रिज़र्व बैंक**  
**RESERVE BANK OF INDIA**

वेबसाइट : [www.rbi.org.in/hindi](http://www.rbi.org.in/hindi)

Website : [www.rbi.org.in](http://www.rbi.org.in)

ई-मेल/email : [helpdoc@rbi.org.in](mailto:helpdoc@rbi.org.in)



संचार विभाग, केंद्रीय कार्यालय, शहीद भगत सिंह मार्ग, फोर्ट, मुंबई - 400 001

Department of Communication, Central Office, Shahid Bhagat Singh Marg, Fort, Mumbai - 400 001 फोन/Phone: 022 - 2266 0502

30 जनवरी 2025

**आरबीआई ने एविओम इंडिया हाउसिंग फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड के प्रशासक को परामर्श देने के लिए एक सलाहकार समिति नियुक्त की**

भारतीय रिज़र्व बैंक ने 27 जनवरी 2025 को एविओम इंडिया हाउसिंग फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक मंडल को अधिक्रमित कर दिया है, और श्री राम कुमार, भूतपूर्व मुख्य महाप्रबंधक, पंजाब नेशनल बैंक को प्रशासक नियुक्त किया है। भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईई(5)(ए) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए रिज़र्व बैंक ने प्रशासक को उनके कर्तव्यों के निर्वहन में सहायता करने के लिए तीन सदस्यीय सलाहकार समिति का गठन किया है। सलाहकार समिति के सदस्य इस प्रकार हैं:

1. श्री परितोष त्रिपाठी, भूतपूर्व मुख्य महाप्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक
2. श्री रजनीश शर्मा, भूतपूर्व मुख्य महाप्रबंधक, बैंक ऑफ बड़ौदा
3. श्री संजय गुप्ता, भूतपूर्व एमडी एवं सीईओ, पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

यह भी उल्लेख किया जा सकता है कि दिवाला और शोधन अक्षमता (वित्तीय सेवा प्रदाताओं की दिवाला और समापन कार्यवाहियाँ तथा न्यायनिर्णयन प्राधिकरण को आवेदन) नियम, 2019 में संबंधित वित्तीय क्षेत्र नियामक द्वारा कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया के दौरान वित्तीय सेवा प्रदाता के संचालन में प्रशासक को परामर्श देने के लिए सलाहकारों की एक समिति नियुक्त करने का प्रावधान है।

प्रेस प्रकाशनी: 2024-2025/2039

(पुनीत पंचोली)

मुख्य महाप्रबंधक